क्रम-संख्या—306

रजि॰ नं॰ एल॰ डब्लू॰/एन॰ पी॰ 898
लाइसेन्स नं॰ डब्लू॰ पी॰—41
लाइसेन्स टू पोस्ट एट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, शुक्रवार, 8 अगस्त, 1997
श्रावण 17, 1919 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग—1

संख्या 1134/सत्रह-वि-1-1 (क) 8/1997
लखनऊ, 8 अगस्त, 1997

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) विधेयक, 1997 पर दिनांक 7 अगस्त, 1997 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1997 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 10 सन् 1997)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के अड़तालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997 कहा जायेगा।

(2) यह 26 मई, 1997 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 16 सन् 1980 की धारा 4 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग अधिनियम, 1980 को, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 4 में, उपधारा (2) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारायें रख दी जायेंगी, अर्थात् :—

"(2) कोई व्यक्ति अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति के लिये तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,—

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो; या

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो; या

(घ) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य न हो या न रहा हो।

(2-क) कोई व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए तब तक अर्ह नहीं होगा जब तक कि वह,—

(क) उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसने जिला न्यायाधीश का पद या उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो; या

(ख) भारतीय प्रशासनिक सेवा का ऐसा सदस्य न हो या न रहा हो जिसने राज्य सरकार के सचिव का पद या राज्य सरकार के अधीन उसके समकक्ष कोई अन्य पद धारण किया हो; या

(ग) किसी विश्वविद्यालय का कुलपति न हो या न रहा हो; या

(घ) किसी विश्वविद्यालय में आचार्य न हो या न रहा हो; या

(ङ) कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिये किसी स्नातकोत्तर महाविद्यालय का प्राचार्य न हो या न रहा हो; या

(च) कम से कम पन्द्रह वर्ष की अवधि के लिये किसी स्नातक महाविद्यालय का प्राचार्य न हो या न रहा हो।"

धारा 6 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 6 में, उपधारा (1) में स्पष्टीकरण निकाल दिया जायेगा।

धारा 31-ग का संशोधन

4—मूल अधिनियम की धारा 31-ग में,—

(क) उपधारा (1) में,—

(एक) खण्ड (क) में शब्द और अंक "30 जून, 1991" के स्थान पर शब्द और अंक "22 नवम्बर, 1991" रख दिये जायेंगे;

(दो) खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रख दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(ख) धारा 16 की उपधारा (1) के, जैसी कि वह खण्ड (क) में निर्दिष्ट अधिनियम द्वारा उसके निकाले जाने के पूर्व थी, अधीन तदर्थ आधार पर नियुक्त किया गया था, चाहे रिक्ति आयोग को अधिसूचित की गयी हो या न की गयी हो।";

(तीन) खण्ड (ग) में शब्द "पद पर अपेक्षित थी" के पश्चात् शब्द "या उसे ऐसी अर्हताओं से छूट प्रदान की गयी थी" बढ़ा दिये जायेंगे।

(चार) खण्ड (घ) निकाल दिया जायेगा।

(ख) उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जायेगी, अर्थात् :—

"(5) उपधारा (4) में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, उपधारा (2) के अधीन गठित चयन समिति, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अधिनियम, 1997 द्वारा उपधारा (1) के खण्ड (ख) से (घ) में किये गये संशोधनों की दृष्टि से प्रत्येक ऐसे अध्यापक के मामले में पुनर्विचार करेगी जो उपधारा (4) के अधीन पद धारण करने से प्रविरत हो गया हो और यदि ऐसे पुनर्विचार के परिणामस्वरूप कोई ऐसा अध्यापक मौलिक नियुक्ति के लिए

उपयुक्त पाया जाय तो उसे उपधारा (1) में यथा उपबन्धित मौलिक नियुक्ति दी जा सकती है और यह समझा जायेगा कि वह पदधारण करने से कभी भी विरत नहीं हुआ है।"

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 1997

5—(1) उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग (संशोधन) अध्यादेश, 1997 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। निरसन और अपवाद

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायेगी, मानो ऐसे अधिनियम के उपबन्ध सभी तात्त्विक समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,
रविन्द्र दयाल माथुर,
प्रमुख सचिव।

No. 1134 (2) XVII-V-1—1 (KA) 8-1997

Dated Lucknow, August 8, 1997

In pursuance of the provisions of clause (3) of article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Uchchatar Shiksha Seva Aayog (Sanshodhan) Adhiniyam, 1997 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 10 of 1997) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on August 7, 1997.

THE UTTAR PRADESH HIGHER EDUCATION SERVICES COMMISSION (AMENDMENT) ACT, 1997

(U. P Act No. 10 of 1997)

(As passed by the Uttar Pradesh Legislature)

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980.

It is hereby enacted in the Forty-eighth Year of the Republic of India as follows :—

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1997. Short title and commencement

(2) It shall be deemed to have come into force on May 26, 1997.

2. In section 4 of the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission Act, 1980, hereinafter referred to as the principal Act, *for* sub-section (2), the following sub-sections shall be *substituted*, namely:— Amendment of section 4 of U. P. Act no. 16 of 1980

"(2) No person shall be qualified for appointment as Chairman unless he is or has been,—

(*a*) a member of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service who has held the post of District Judge or any other post equivalent thereto; or

(*b*) a member of the Indian Administrative Service who has held the post of a Secretary to the State Government or any other post under the State Government equivalent thereto; or

(*c*) a Vice-Chancellor of any University; or

(*d*) a Professor in any University.

(2—a) No person shall be qualified for appointment as member unless he is or has been,—

(*a*) a member of the Uttar Pradesh Higher Judicial Service who has held the post of District Judge or any other post equivalent thereto; or

(*b*) a member of the Indian Administrative Service who has held the post of a Secretary to the State Government or any other post under the State Government equivalent thereto; or

(*c*) a Vice-Chancellor of any University; or

(*d*) a Professor in any University; or

(*e*) a Principal of a Post Graduate College for a period of not less than ten years; or

(*f*) a Principal of a Degree College for a period of not less than fifteen years."

Amendment of section 6

3. In section 6 of the principal Act, in sub-section (1) the Explanation shall be *omitted*.

Amendment of section 31-C

4. In section 31-C of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1),—

(*i*) in clause (*a*), *for* the word and figures "June 30, 1991" the word and figures "November 22, 1991" shall be *substituted*.

(*ii*) *for* clause (*b*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*b*) was appointed on *ad hoc* basis under sub-section (1) of section 16 as it stood before its omission by the Act referred to in clause (*a*), whether or not the vacancy was notified to the Commission."

(*iii*) in clause (*c*), *after* the words "for regular appointment to the post," the words "or was given relaxation from such qualifications" shall be *inserted*;

(*iv*) clause (*d*) shall be *omitted*;

(*b*) *after* sub-section (4), the following sub-section shall be *inserted*, namely :—

"(5) Notwithstanding anything to the contrary in sub-section (4), the selection committee constituted under sub-section(2), shall in view of the amendments made in clauses (*b*) to (*d*) of sub-section (1), by the Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Act, 1997 reconsider the case of every teacher who ceased to hold appointment under sub-section (4) and if as a result of reconsideration any such teacher is found suitable for substantive appointment, he may be given substantive appointment as provided in sub-section (1), and shall be deemed never to have ceased to hold appointment."

Repeal and savings

5. (1) The Uttar Pradesh Higher Education Services Commission (Amendment) Ordinance, 1997 is hereby *repealed*.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the Principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have done or taken under the corresponding provisions of the Principal Act as amended by this Act, as if the provisions of the Act were in force at all material times.

By order,

R. D. MATHUR,

Pramukh Sachiv.

पी० एस० यू०पी०—ए०पी० 136 सा० विधा०— (969)—1997—850 (मेक०)।